न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 59/2011 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2011/00051)

1. राधेश्याम पुत्र श्री कमलदास जाति पुजारी निवासी नगला वीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति मंदिर ठाकुर जी महाराज विराजमान नगला वीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर जरिये–

1. हरप्रसाद पुत्र किशोर
2. रामवीर पुत्र किशोर
3. बनयसिंह पुत्र हजारी
4. ऊधम पुत्र महाराजसिंह
5. कन्हैया पुत्र बुद्धा

जाति जाट निवासीयान नगला वीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 10.5.2011 व अपील सख्या 49/2010 राधेश्याम बनाम मूर्ति मंदिर ठाकुर जी महाराज।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.5.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के द्वारा एक अपील परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2010 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या–568 ग्राम नगला वीजा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन के द्वारा आदेश दिनांक 22.6.2010 से नामान्तरकरण संख्या 568 के द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी कलमजन करते हुये मूर्ति मंदिर ठाकुर जी महाराज साकिन देह दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.5.2011 पारित करते हुये न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन का निर्णय/डिक्री की पालना में नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दौराने बहस वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थत नहीं । वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

27.2.23

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए वहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2011 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नायव तहसीलदार उच्चैन के द्वारा उत्तरवादी मूर्ति के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 568 ग्राम नगला वीजा तहसील रूपवास के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.5.2011 से खारिज करने का आदेश दिया है जो विधि संगत नहीं है। आराजी खसरा नम्बरान 555/0.12, 556/2.11, 559/0.09 वाकै ग्राम नगला वीजा अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर उत्तरवादी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है विना अधिकार के खण्डनाधीन आदेश वहक उत्तरवादी देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। जिस निर्णय व डिकी न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन की पालना में अपीलाधीन आदेश दिया जाना वतलाया गया है उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय श्रीमान भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन है और मामला हायर कोर्ट में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय इस विन्दु पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटी की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से इस प्रकरण में प्रस्तुत की गई निगरानी/शीर्षक राधेश्याम वनाम मूर्ति मंदिर ठाकुर में अपीलान्ट के हक और मूर्ति के विरूद्ध स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। खण्डनाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय भू अभिलेख नियम 128 की कोई पालना नहीं की है। कोर्ट का नाम, प्रकरण व पक्षकारों का नाम व निर्णय व डिकी का संक्षिप्त विवरण जो नामान्तरकरण की सीट की पीठ पर अंकित करना होता है नहीं किया गया है नियम विरूद्ध खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। डिकी जो न्यायालय द्वारा दी गई है उसको सक्षम अदालत में चुनौती दी जा चुकी है जो विचाराधीन है उसकी इजराय सम्भव ही नहीं है और यदि इजराय करनी है तो समस्त भाग की की जानी चाहिऐ केवल डिकी के कुछ भाग का निष्पादन करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। विवादित आराजी अपीलान्ट की व्यक्तिगत सेवा माफी है जिस पर उत्तरवादी मूर्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विना कब्जे की जांच किये अपील की अवधि में खण्डनाधीन आदेश देने में तहत अदालत ने भारी भूल की है। आराजी खसरा नम्बरान 555/0.12, 556/2.11, 559/0.09 वाकै ग्राम नगला वीजा तहसील रूपवास खातेदारी की आराजी है जो अपीलान्ट को अपने पूर्वज कमलदास से विरासत में प्राप्त हुई है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर भरतपुर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2011 व नायव तहसीलदार उच्चैन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 580 दिनांक 22.6.2010 निरस्त किये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय वहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावल का अवलोकन करने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2011 में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नही है। क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में विवादित

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.2.13
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में होने व काबिज काश्तकार होने के साथ–साथ उनके पूर्वज कमलदास से विरासत में प्राप्त होने का उल्लेख किया गया था। उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 23.12.1975 के द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त होने व नामा0 संख्या 225 दिनांक 13.08.79 के द्वारा खातेदारी में दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। विवादित भूमि से रैस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई बास्ता नहीं होने, सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील विचाराधीन होने व स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने के कारण नामा0 नहीं किये जा सकने का उल्लेख किया गया था। विद्वान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2011 निर्णित किया है। उक्त निर्णय में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह माना है कि नामा0 संख्या 568 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार उच्चैन का आदेश स्वतंत्र आदेश नहीं होकर न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 20.05.2010 की पालना में पारित किया गया है। न्यायालय के निर्णय/डिक्री के विरूद्ध भू–प्रबन्ध प्राधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां अपील विचाराधीन होना तथा स्थगन आदेश के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने कार्यवाही विचाराधीन होना जाहिर किया गया है। उक्त निर्णय में यह भी माना है कि सहायक कलक्टर उच्चैन के द्वारा पारित डिक्री/निर्णय के अनुसार इजराय नहीं किये जाने का बिन्दु नामा0 की अपील में तय नहीं किया जा सकता हैं। सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में स्वीकृत अपीलाधीन नामा0 में नायब तहसीलदार उच्चैन के द्वारा कोई अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जब तक कि डिक्री/निर्णय प्रभाव में है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को विद्वान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा खारिज किया गया है जो कि उचित है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील व बहस में वर्णित यह तथ्य कि सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील विचाराधीन होने तथा माननीय राजस्व मण्डल में स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र लंबित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है तो न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई दस्तावेज या रिकार्ड पेश किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2010 के विरूद्ध नामा0 तस्दीक किये जाने की दिनांक को कोई अपील विचाराधीन थी या किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश विद्यमान था। विद्वान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह माना है कि नायब तहसीलदार उच्चैन का आदेश दिनांक 22.06.2010 उनका स्वतंत्र आदेश नहीं होकर न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 20.05.2010 की इजराय की पालना में किया गया है। इसके अलावा यदि सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2010 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो तदानुसार नामा0 पुनः खोला जा सकता है। परन्तु नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा जो नामा0 संख्या 568 दिनांक 22.06.2010 को स्वीकृत किया गया है

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

यह नामा० सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा पारित निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा खोले जाने व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत जांच करने के बाद स्वीकार किया गया है। जिसमें विद्वान अति० जिला कलक्टर भरतपुर ने किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं मानी है जो कि उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अति० जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2011 संपुष्ट रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर